

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

न्यायालयीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 22181/15 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराये जाने बाबत।

\*\*\*

पंजी क्रमांक 549/2016/ए-16

\*\*

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

पंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 22181/15 जे.पी. बेला प्लांट (जय प्रकाश एसोसियेट लि.) विरुद्ध उप श्रमायुक्त व अन्य में श्रमायुक्त, इंदौर के आदेश दिनांक 04.03.2016 द्वारा श्रम पदाधिकारी, रीवा (म.प्र.) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण आदेश के लिए प्रस्ताव एकल नस्ती में प्रेषित कर विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः श्रमायुक्त, इंदौर से प्राप्त एकल नस्ती प्रस्ताव अनुसार प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अ0अ0

9/3/16

प्रमुख सचिव, श्रम

विधि एवं विधायी कार्य  
विभाग

Muzamil  
18/3

11/3

(एन.के.गार्गव)  
प्रमुख सचिव, श्रम

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रति नस्ती पर रस्ती है।

श्रम विभाग

(अमिताभ मिश्र)  
भवि-सचिव  
विधि विभाग

7707  
C.R

File No. 329  
Received Date 11/03/16  
Despatch

माह

○  
उपस-२ सचिवालय

विषय : न्यायालयीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 22181/15 में  
विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश  
जारी कराये जाने बाबत।

का विभाग

\*\*\*

पूर्व पृष्ठ से:-



21/11/15 8/13

एकलनस्ती

कं. 20/2/विधि प्रकोष्ठ/16

पंजी क. 549/ए-16  
दिनांक 9-1-2016

नोटशीट

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इन्दौर

(विधि प्रकोष्ठ)

विषय:- न्यायालयीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी. 22181/15 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराने बाबद।

कृपया पंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी. 22181/15 जे. पी. बेला प्लांट(जय प्रकाश एसोसियेट लि.) विरुद्ध उप श्रमायुक्त व अन्य का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। जो कि विभाग को प्रेषित की गई है। (पृष्ठ क्रं. 1 से तक)

उपर्युक्त याचिका में शासन की ओर से पक्ष प्रस्तुति हेतु श्रम पदाधिकारी रीवा (म.प्र.) को श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश क्रमांक 29 दिनांक 4.3.16 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। (आदेश प्रति संलग्न है)

उपर्युक्त याचिका में मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग भोपाल तर्फे मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर से संबंधित महाधिवक्ता, कार्यालय हेतु आवश्यक प्रतिरक्षण आदेश जारी कराए जाने का कष्ट करें।

श्रमायुक्त 3/3/16

मध्यप्रदेश इन्दौर

प्रमुख सचिव, श्रम  
(5566)  
शारदा-A

श्रमायुक्त 8/3/16

पंजी क. 20/2/विधि प्रकोष्ठ/16  
दिनांक 05/03/16

3906  
04-3-16

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT  
JABALPUR**


Process Id: 17387/2016

WP/22181/2015

for adm. and I.R.  
**Fixed for 14-03-2016**  
**WP-DA-14**  
Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Jabalpur



To,

By Labour Commissioner,  
Indore Indore,  
District- Indore (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 01-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/ 22181/ 2015**

57  
3/3/16 Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Jaypee Bela Plant** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/22181/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)  
Encl: Copy of Petition



Your faithfully

**DEPUTY REGISTRAR**



6 -

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT  
AT JABALPUR**

Writ Petition No. 22181/2015

**PETITIONER:** Japee Bela Plant Unit of Jai Prakash Ltd.

-Vs.-

**RESPONDENTS:** Dr. Labour Commissioner And Other

**I N D E X**

S. No.	Particulars	Annexure	Page No
1.	Index	-	1
2.	Chronology of events.	-	2
3.	Writ Petition with affidavit.	-	3-9
4.	List of documents.	-	10
5.	Copy of agreement	P/1	11-15
6.	Copy of the Notice dt. 12.12.11	P/2	16
7.	Copy of the licence dt. 14.1.2009	P/2(A)	17
8.	Copy of the reply along with the failure report of the A.L.C.	P/3	18-29
9.	Copy of the Reference	P/4	31
10.	Copy of Statement of Claim, Written Statement, Preliminary Objections	P/5	31-44
11.	Copy of <b>impugned</b> order dt. 5.11.14 of the Labour Court	P/6	45-48
	<u>12. Copy of order dated 01-10-2015</u>	<u>P/7</u>	<u>49-50</u>

Place: Jabalpur,

Date: 08-12-2015

R. B. TIWARI  
COUNSEL FOR PETITIONER



## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 4.03.2016

### आदेश

क्रमांक 20/2/विधि प्रकोष्ठ/16/29 मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 1255, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्या 5.) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 के अधीन श्रमायुक्त द्वारा श्रम पदाधिकारी रीवा (म.प्र.) को (पक्षकारों के नाम) जे. पी. बेला लांट(जय प्रकाश एसोसियेट लिमिटेड) विरुद्ध उप श्रमायुक्त इन्दौर व अन्य (याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 22181/15) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित कार्य करने, आवेदन करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने, और उप संज्ञान होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि एवं विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी।
2. समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिसका कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करेगा एवं इस कार्यालय से अविलंब अनुमोदन प्राप्त करते हुए समय-सीमा के अंदर जवाबदावा दायर करना निश्चित करेगा।
5. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-
  - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार एवं श्रमायुक्त की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।



(घ) मामले में विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

7 मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं सदैव ही अवगत रखना।

8 जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

9 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजना।

10 यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

11 जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाए।


12 प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी नहीं रह जाए।

13 प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे वाद का निश्चित होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14 प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अन्तरीम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह आदेश की प्रति, जैसे वही वह पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को प्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



श्रमायुक्त,


मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक: 20/2/विधि प्रकोष्ठ/2016/7218-22,

इन्दौर, दिनांक 04-3-16

प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता, कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल कृपया प्रकरण में शासन के पक्ष में प्रतिरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल से आवश्यक आदेश पारित करने हेतु अग्रेषित।
4. श्रम पदाधिकारी रीवा (म.प्र.) (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित कर, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति की प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता की आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे विभागाध्यक्ष एवं प्रशासकीय विभाग को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति विधि विभाग, भोपाल को भेजी जाए। प्रकरण में सुनवाई तिथि <sup>14.3.16</sup> नियत है।
5. शासकीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।

  
श्रमायुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर

DEPUTY REGISTRAR